कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 3005/ 14–1 बिजनौर, दिनांक, मार्च ,13, 2018।

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड
ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उ0प्र0।

विषय :– बिजनौर में धामपुर–नूरपुर मार्ग (एम0डी0आर0–03) किमी0 30.336 की बॉयी पटरी पर ग्राम नूरपुर तहसील चॉदपुर के खसरा संख्या–205/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.064318 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ:– पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) उ0प्र0 लखनऊ की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या 8बी0/यू0पी0/06/75/2017/एफ0सी0/876 दिनांक 12–03–2018।

महोदय,

पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 एफ0एन0 सं0–11–268/2014 एफसी, दिनांक 11–07–2014 व एफ0एन0 सं0–11–09/98 एफसी, दिनांक 21–08–2014 के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में धामपुर–नूरपुर मार्ग (एम0डी0आर0–03) किमी0 30.336 की बॉयी पटरी पर ग्राम नूरपुर तहसील चॉदपुर के खसरा संख्या–205/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.064318 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग, प्रवेश एवं निकास मार्ग मे की अनुमति हेतु आनलाइन उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की गई है। कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तो की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सामान्य वृक्षारोपण दस वर्षो तक रख–रखाव सहित रू0 **1,02,600.00** (रू0 एक लाख दो हजार छः सौ मात्र)।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। प्रभावित वन भूमि **0.064318** हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य 6.26 लाख प्रति हे0 के दर से रू0 40,263.00 (रू0 चालिस हजार दो सौ तिरेसठ मात्र)।

   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायगा एवं इसका सीमांकन 02 फिट ऊंची दीवार बनाकर किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगें कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लधन नही किया गया है।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।
8. प्रस्ताव में मूल टोपोशीट उपलब्ध नही करायी गयी जिसें मूल रूप में उपलब्ध करायी जाए।

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुंस्पष्ट परिपालन आख्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–फरवरी 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी कराने हेतु प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी चॉदपुर।

(एम0 सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।